कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006

(2006 का अधिनियम संख्यांक 29)

[13 जुलाई, 2006]

आय-कर अधिनियम, 1961, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 का और संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 है। संक्षिप्त नाम।

अध्याय 2

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

1961 का 43 **2.** आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (44) में, ''जिसे कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए,'' शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 2 का संशोधन।

''और ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए भी, जो इस अधिनियम के अधीन निर्धारण अधिकारी को प्रदत्त या सौंपे गए हैं तथा जो विहित किए जाएं,''।

3. आय-कर अधिनियम की धारा 10 में, 1 अप्रैल, 2006 से,— धारा 10 का संशोधन।

(क) खंड (23खखङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(23खखच) नॉर्थ ईस्टर्न डेवलेपमेन्ट फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत कंपनी है, की कोई आय: 1956 का 1

परंतु नॉर्थ ईस्टर्न डेवलेपमेन्ट फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड की कुल आय की संगणना करने में,—

(i) 1 अप्रैल, 2006 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष की कुल आय के बीस प्रतिशत;

(ii) 1 अप्रैल, 2007 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष की कुल आय के चालीस प्रतिशत;

(iii) 1 अप्रैल, 2008 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष की कुल आय के साठ प्रतिशत;

(iv) 1 अप्रैल, 2009 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष की कुल आय के अस्सी प्रतिशत;

(v) 1 अप्रैल, 2010 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष और किसी अन्य पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्ष या वर्षों की कुल आय के सौ प्रतिशत,

तक की रकम ऐसी कुल आय में सम्मिलित की जाएगी;'';

(ख) खंड (23ग) में,—

(i) आठवें परंतुक में, ''उपखंड (iv) या उपखंड (v) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा निकाली गई कोई अधिसूचना, किसी एक समय पर, ऐसे निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए जो तीन निर्धारण वर्षों से अधिक नहीं होंगे,'' शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, ''उपखंड (iv) या उपखंड (v) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा उस तारीख से पूर्व, जिसको कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2006 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, निकाली गई कोई अधिसूचना किसी एक समय पर, ऐसे निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए जो तीन निर्धारण वर्षों से अधिक नहीं होंगे,'' शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) आठवें परंतुक के पश्चात्‌ निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌:—

''परंतु यह भी कि जहां कोई आवेदन कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2006 को राष्ट्रपति की अनुमति मिलने की तारीख को या उसके पश्चात्‌ किया जाता है वहां उपखंड (iv) या उपखंड (v) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के अधीन अनुमोदन या आवेदन को नामंजूर करने वाला कोई आदेश उस मास के अंत से जिसमें ऐसा आवेदन प्राप्त हुआ था, बारह मास की अवधि के भीतर, यथास्थिति, निकाली जाएगी या प्रदान किया जाएगा या पारित किया जाएगा:

परंतु यह भी कि जहां उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vi क) में निर्दिष्ट निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था की कुल आय, उक्त खंडों के उपबंधों को प्रभावी किए बिना, उस अधिकतम रकम से अधिक है, जो किसी पूर्ववर्ष में कर से प्रभार्य नहीं है, वहां ऐसा न्यास या संस्था या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या कोई अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था उस वर्ष की बाबत अपने लेखाओं की संपरीक्षा धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित किसी लेखापरीक्षक से कराएगी और सुसंगत निर्धारण वर्ष की आय की विवरणी के साथ ऐसी संपरीक्षा की विहित प्ररूप में ऐसे लेखापरीक्षक द्वारा सम्यक्‌ रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित रिपोर्ट देंगे और उसमें ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करेंगे जो विहित की जाएं:''।

धारा 12क का संशोधन।

4. आय-कर अधिनियम की धारा 12क के खंड (ख) में, ''धारा 11 और धारा 12 के उपबंधों को लागू किए बिना जहां उस न्यास या संस्था की इस अधिनियम के अधीन यथासंगणित सकल आय किसी पूर्व वर्ष में पचास हजार रुपए से अधिक है,'' शब्दों और अंकों के स्थान पर, ''धारा 11 और धारा 12 के उपबंधों को लागू किए बिना जहां उस न्यास या संस्था की इस अधिनियम के अधीन यथासंगणित सकल आय किसी पूर्व वर्ष में उस अधिकतम रकम से अधिक है जो किसी पूर्व वर्ष में आय-कर से प्रभार्य नहीं है'' शब्द और अंक 1 अप्रैल, 2006 से रखे जाएंगे।

धारा 35 का संशोधन।

5. आय-कर अधिनियम की धारा 35 में, 1 अप्रैल, 2006 से,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) खंड (ii) में परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌:—

''परंतु यह तब जबकि ऐसा संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(अ) उन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, उस रीति से और उन शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, तत्समय अनुमोदित है; और

(आ) ऐसा संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा उस रूप में विनिर्दिष्ट है;'';

(ख) उपखंड (iii) में परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु यह तब जबकि ऐसा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(अ) उन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, उस रीति से और उन शर्तों के अधीन रहते हुए , जो विहित की जाएं, तत्समय अनुमोदित हैं; और

(आ) ऐसा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उस रूप में विनिर्दिष्ट है;'';

(ग) खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''**स्पष्टीकरण—**ऐसी कटौती से जिसके लिए निर्धारिती वैज्ञानिक अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या ऐसी संस्था को जिसे खंड (ii) या खंड (iii) लागू होता है, संदत्त किसी धनराशि की बाबत हकदार है, मात्र इस आधार पर इंकार नहीं किया जाएगा कि निर्धारिती द्वारा ऐसी राशि के संदाय के पश्चात् खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था को अनुदत्त अनुमोदन वापस ले लिया गया है;'';

(घ) खंड (iv) के दूसरे परंतुक में, ''प्राधिकारी'' शब्द के स्थान पर, ''सरकार'' शब्द रखा जाएगा;

(ङ) तीसरे परंतुक में ''खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा निकाली गई कोई अधिसूचना किसी समय, ऐसे निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए, जो तीन निर्धारण वर्षों से अधिक नहीं होंगे'' शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, ''खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा उस तारीख से पूर्व जिसको कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2006 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, निकाली गई कोई अधिसूचना किसी समय, ऐसे निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए जो तीन निर्धारण वर्षों से अधिक नहीं होंगे,'' शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(च) तीसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत में अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु यह भी कि जहां कोई आवेदन कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2006 को राष्ट्रपति की अनुमति मिलने की तारीख को या उसके पश्चात् किया जाता है वहां खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना या आवेदन को नामंजूर करने वाला कोई आदेश उस मास के अंत से जिसमें ऐसा आवेदन केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था, बारह मास की अवधि के भीतर, यथास्थिति, निकाली जाएगी या पारित किया जाएगा।'';

(ii) उपधारा (2कक) में, स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 2 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन:संख्यांकित स्पष्टीकरण 2 से पूर्व निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''**स्पष्टीकरण 1**—ऐसी कटौती से जिसके लिए निर्धारिती इस उपधारा में निर्दिष्ट अनुमोदित कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या विनिर्दिष्ट व्यक्ति को संदत्त किसी राशि की बाबत हकदार है, मात्र इस आधार पर इंकार नहीं किया जाएगा कि निर्धारिती द्वारा ऐसी राशि के संदाय के पश्चात्,—

(क) ऐसी प्रयोगशाला या विनिर्दिष्ट व्यक्ति को अनुदत्त अनुमोदन वापस ले लिया गया है; या

(ख) राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम को अनुदत्त अनुमोदन वापस ले लिया गया है।''।

धारा 35 कग का संशोधन।

6. आय-कर अधिनियम की धारा 35 कग में, उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण 1 अप्रैल, 2006 से अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''**स्पष्टीकरण**—ऐसी कटौती से जिसके लिए निर्धारिती इस उपधारा में निर्दिष्ट पात्र परियोजना या स्कीम चलाने के लिए पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी या संगम या संस्था को संदत्त किसी राशि की बाबत हकदार है, मात्र इस आधार पर इंकार नहीं किया जाएगा कि निर्धारिती द्वारा ऐसी राशि के संदाय के पश्चात्,—

(क) ऐसे संगम या संस्था को अनुदत्त अनुमोदन वापस ले लिया गया है; या

(ख) पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी या संगम या संस्था द्वारा चलाई जा रही पात्र परियोजना या स्कीम को अधिसूचित करने वाली अधिसूचना वापस ले ली गई है।''।

धारा 35गगक का संशोधन।

7. आय-कर अधिनियम की धारा 35गगक में, उपधारा (2क) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण 1 अप्रैल, 2006 से अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''**स्पष्टीकरण**—ऐसी कटौती से जिसके लिए निर्धारिती उपधारा (1) में निर्दिष्ट ग्रामीण विकास कार्यक्रम को चलाने के लिए संगम या संस्था को संदत्त किसी राशि की बाबत हकदार है, मात्र इस आधार पर इंकार नहीं किया जाएगा कि निर्धारिती द्वारा ऐसी राशि के संदाय के पश्चात्, यथास्थिति, ऐसे ग्रामीण विकास कार्यक्रम या संगम या संस्था को अनुदत्त अनुमोदन वापस ले लिया गया है।''।

धारा 40 का संशोधन।

8. आय-कर अधिनियम की धारा 40 के खंड (क) के उपखंड (iक) में 1 अप्रैल, 2006 से,—

(क) ''कमीशन या दलाली'' शब्दों के पश्चात्, ''किराया, स्वामिस्व,'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) स्पष्टीकरण में खंड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत में अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

'(v) ''किराया'' का वही अर्थ होगा जो धारा 194झ के स्पष्टीकरण के खंड (i) में है;

(vi) ''स्वामिस्व'' का वही अर्थ होगा जो धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (vi) के स्पष्टीकरण 2 में है;'।

9. आय-कर अधिनियम की धारा 40क की उपधारा (3) और उपधारा (4) में, "बैंक पर लिखे क्रास चैक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "किसी बैंक के नाम लिखे गए पाने वाले के खाते में देय चैक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा" शब्द रखे जाएंगे। धारा 40क का संशोधन।

10. आय-कर अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) में,— धारा 56 का संशोधन।

(क) खंड (v) में,—

(i) "1 सितंबर, 2004 को या उसके पश्चात्" अंकों और शब्दों के पश्चात् "किन्तु 1 अप्रैल, 2006 से पूर्व" शब्द और अंक 1 अप्रैल, 2006 से अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) परंतुक में खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(ङ) धारा 10 के खंड (20) के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी स्थानीय प्राधिकारी से; या

(च) किसी निधि या प्रतिष्ठान या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था या किसी न्यास या धारा 10 के खंड (23ग) में निर्दिष्ट संस्था से; या

(छ) धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था से,";

(ख) खंड (v) और स्पष्टीकरण के पश्चात् 1 अप्रैल, 2007 से निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(vi) जहां कोई धनराशि जिसका सकल मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है, बिना प्रतिफल के किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब को किसी पूर्ववर्ष में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् प्राप्त होती है, वहां ऐसी राशि का सकल मूल्य:

परंतु यह खंड किसी ऐसी धनराशि को लागू नहीं होगा जो—

(क) किसी नातेदार से; या

(ख) किसी व्यष्टि के विवाह के अवसर पर; या

(ग) किसी विल के अधीन या विरासत के रूप में; या

(घ) किसी दाता की मृत्यु को आसन्न मानकर; या

(ङ) धारा 10 के खंड (20) के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी स्थानीय प्राधिकारी से; या

(च) किसी निधि या प्रतिष्ठान या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था या किसी न्यास या धारा 10 के खंड (23ग) में निर्दिष्ट संस्था से; या

(छ) धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था से,

प्राप्त होती हैं।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए ''नातेदार'' से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं,—

(i) व्यष्टि का पति या पत्नी;

(ii) व्यष्टि का भाई या बहन;

(iii) व्यष्टि की पत्नी या पति का भाई या बहन;

(iv) व्यष्टि के माता-पिता में से किसी का भाई या बहन;

(v) व्यष्टि का कोई पारंपरिक पूर्वपुरुष या वंशज;

(vi) व्यष्टि के पति या पत्नी का कोई पारंपरिक पूर्वपुरुष या वंशज;

(vii) खंड (ii) से खंड (vi) में निर्दिष्ट व्यक्ति का पति या पत्नी।'।

धारा 80छछक का संशोधन।

11. आय-कर अधिनियम की धारा 80छछक की उपधारा (2) में 1 अप्रैल, 2006 से,—

(क) खंड (कक) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''**स्पष्टीकरण**—ऐसी कटौती से जिसके लिए निर्धारिती वैज्ञानिक अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था को, जिसे खंड (क) या खंड (कक) लागू होता है, संदत्त किसी राशि की बाबत हकदार है, मात्र इस आधार पर इंकार नहीं किया जाएगा कि निर्धारिती द्वारा ऐसी राशि के संदाय के पश्चात्, यथास्थिति, खंड (क) या खंड (कक) में निर्दिष्ट ऐसे संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था को अनुदत्त अनुमोदन वापस ले लिया गया है;'';

(ख) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''**स्पष्टीकरण**—ऐसी कटौती से जिसके लिए निर्धारिती ग्रामीण विकास कार्यक्रम को, जिसे यह खंड लागू होता है, चलाने के लिए किसी संगम या संस्था को संदत्त किसी राशि की बाबत हकदार है, मात्र इस आधार पर इंकार नहीं किया जाएगा कि निर्धारिती द्वारा ऐसी राशि के संदाय के पश्चात्, यथास्थिति, ऐसे कार्यक्रम या संगम या संस्था को अनुदत्त अनुमोदन वापस ले लिया गया है।'';

(ग) खंड (खख) में, स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 2 के रूप में इस प्रकार संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 2 से पूर्व निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''**स्पष्टीकरण 1**—ऐसी कटौती से जिसके लिए निर्धारिती धारा 35कग में निर्दिष्ट पात्र परियोजना या स्कीम चलाने के लिए पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी या संगम या संस्था को संदत्त किसी धनराशि की बाबत हकदार है, मात्र इस आधार पर इंकार नहीं किया जाएगा कि निर्धारिती द्वारा ऐसी धनराशि के संदाय के पश्चात्,—

(क) ऐसे संगम या संस्था को अनुदत्त अनुमोदन वापस ले लिया गया है; या

(ख) पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी या संगम या संस्था द्वारा चलाई जा रही धारा 35कग में निर्दिष्ट पात्र परियोजना या स्कीम को अधिसूचित करने वाली अधिसूचना वापस ले ली गई है।''।

12. आय-कर अधिनियम की धारा 139 में 1 अप्रैल, 2006 से,— धारा 139 का संशोधन।

(क) उपधारा (4ग) के खंड (ङ) में,—

(i) ''उपखंड (vi)'' शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, ''उपखंड (iiiकघ) या उपखंड (vi)'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) ''उपखंड (viक)'' शब्द, कोष्ठकों, अंक और अक्षर के स्थान पर, ''उपखंड (iiiकङ) या उपखंड (vi क)'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (4ग) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(4घ) धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) और खंड (iii) में निर्दिष्ट प्रत्येक विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था, जिससे इस धारा के किसी अन्य उपबंध के अधीन आय या हानि की विवरणी देना अपेक्षित नहीं है, प्रत्येक पूर्ववर्ष में अपनी आय या हानि की बाबत विवरणी देगी और इस अधिनियम के सभी उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसे लागू होंगे मानो वह उपधारा (1) के अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित विवरणी हो।''।

13. आय-कर अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) में परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2006 से अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 143 का संशोधन।

''परंतु यह और कि जहां निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) और खंड (iii) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था के क्रियाकलाप उन सभी शर्तों या उनमें से किन्हीं के अनुसार नहीं चलाए जा रहे हैं जिनके अधीन रहते हुए ऐसे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था का अनुमोदन किया गया था वहां, वह, संबद्ध विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था को प्रस्तावित अनुमोदन वापस लिए जाने के विरुद्ध कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार को अनुमोदन वापस लेने की सिफारिश कर सकेगा और वह सरकार आदेश द्वारा, अनुमोदन वापस ले सकेगी तथा आदेश की एक प्रति संबद्ध विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था और निर्धारण अधिकारी को अग्रेषित करेगी।''।

14. आय-कर अधिनियम की धारा 155 में उपधारा (11) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— धारा 155 का संशोधन।

''(11क) जहां किसी वर्ष के लिए निर्धारण में धारा 10क या धारा 10ख या धारा 10खक के अधीन कटौती इस आधार पर अनुज्ञात नहीं की गई है कि ऐसी आय निर्धारिती द्वारा या उसकी ओर से भारतीय रिजर्व बैंक या ऐसे अन्य प्राधिकारी के, जिसे विदेशी मुद्रा में संदायों और व्यवहारों को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्राधिकृत किया गया है, अनुमोदन से भारत में परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त नहीं की गई है या भारत से बाहर परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त करने के पश्चात्, या भारत से बाहर परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने के पश्चात्, भारत में नहीं लाई गई है और तत्पश्चात् ऐसी आय या उसका कोई भाग भारत में पूर्वोक्त रीति में प्राप्त किया गया है या प्राप्त किया जाता है या लाया गया है वहां निर्धारण अधिकारी निर्धारण आदेश में संशोधन करेगा जिससे ऐसी आय या उसके भाग की बाबत जो इस प्रकार भारत में प्राप्त किया जाता है या लाया जाता है, यथास्थिति, धारा 10क या धारा 10ख या धारा 10खक के अधीन कटौती अनुज्ञात की जा सके और उसको धारा 154 के उपबंध, जहां तक हो सके, लागू होंगे

तथा चार वर्ष की अवधि की संगणना उस पूर्ववर्ष के अंत से की जाएगी जिसमें ऐसी आय भारत में इस प्रकार प्राप्त की जाती है या लाई जाती है।''।

धारा 194झ का संशोधन।

15. आय-कर अधिनियम की धारा 194झ के स्पष्टीकरण के खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(i) ''किराया'' से किसी,—

(क) भूमि; या

(ख) भवन (जिसके अंतर्गत कारखाना भवन है); या

(ग) भवन (जिसके अंतर्गत कारखाना भवन है) से अनुलग्नक भूमि; या

(घ) मशीनरी; या

(ङ) संयंत्र; या

(च) उपस्कर; या

(छ) फर्नीचर; और

(ज) फिटिंग,

चाहे उपरोक्त में से कोई या सभी पाने वाले के स्वामित्व में हो या नहीं, के प्रयोग के लिए (पृथक् रूप से या सामूहिक रूप से) किसी पट्टे, उपपट्टे, किराएदारी या किसी अन्य करार या ठहराव के अधीन कोई संदाय, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो अभिप्रेत है;'।

धारा 194ञ का संशोधन।

16. आय-कर अधिनियम की धारा 194ञ की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (ख) में, अंत में ''या'' शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा;

(ii) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

''(ग) स्वामिस्व, या

(घ) धारा 28 के खंड (vक) में निर्दिष्ट कोई राशि,'';

(iii) पहले परंतुक के खंड (आ) में,—

(क) उपखंड (ii) में, अंत में ''या'' शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा;

(ख) उपखंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

''(iii) खंड (ग) में निर्दिष्ट स्वामिस्व की दशा में बीस हजार रुपए; या

(iv) खंड (घ) में निर्दिष्ट राशि की दशा में बीस हजार रुपए:'';

(iv) स्पष्टीकरण में खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(खक) ''स्वामिस्व'' का वही अर्थ है जो धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (vi) के स्पष्टीकरण 2 में है;'।

धारा 246क का संशोधन।

17. आय-कर अधिनियम की धारा 246क की उपधारा (1) में खंड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(ञक) धारा 275 की उपधारा (1क) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने या उसमें वृद्धि करने का आदेश;''।

18. आय-कर अधिनियम की धारा 275 में उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— धारा 275 का संशोधन।

''(1क) उस दशा में, जहां सुसंगत निर्धारण या अन्य आदेश धारा 246 या धारा 246क के अधीन आयुक्त (अपील) को अपील या धारा 253 के अधीन अपील अधिकरण को अपील या धारा 260क के अधीन उच्च न्यायालय को अपील या धारा 261 के अधीन उच्चतम न्यायालय को अपील या धारा 263 या धारा 264 के अधीन पुनरीक्षण की विषयवस्तु है और शास्ति अधिरोपण या उसमें वृद्धि या उसे कम करने या उसे रद्द करने या शास्ति अधिरोपण के लिए कार्यवाहियों को बंद करने का आदेश आयुक्त (अपील) या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का आदेश मुख्य आयुक्त या आयुक्त को प्राप्त होने से पहले या धारा 263 या धारा 264 के अधीन पुनरीक्षण आदेश पारित किए जाने से पहले पारित किया जाता है तो शास्ति अधिरोपित करने या उसमें वृद्धि करने या उसे कम करने या उसे रद्द करने या शास्ति अधिरोपण के लिए कार्यवाहियों को बंद करने का आदेश उस निर्धारण के आधार पर पारित किया जा सकेगा जो आयुक्त (अपील) या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के ऐसे आदेश या धारा 263 या धारा 264 के अधीन पुनरीक्षण के आदेश को प्रभावी करते हुए पुनरीक्षित किया गया है :

परंतु शास्ति अधिरोपित करने या उसमें वृद्धि करने या उसे कम करने या रद्द करने या शास्ति के अधिरोपण के लिए कार्यवाहियों को बंद करने का कोई आदेश,—

(क) निर्धारिती को सुने जाने या सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात्;

(ख) उस मास के अंत से, जिसमें आयुक्त (अपील) या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का आदेश मुख्य आयुक्त या आयुक्त को प्राप्त होता है या धारा 263 या धारा 264 के अधीन पुनरीक्षण का आदेश पारित कर दिया जाता है, छह मास की समाप्ति के पश्चात्,

ही पारित किया जाएगा :

परंतु यह और कि धारा 274 की उपधारा (2) के उपबंध इस उपधारा के अधीन शास्ति अधिरोपित करने या उसमें वृद्धि करने या उसे कम करने के आदेश के संबंध में लागू होंगे।''।

19. आय-कर अधिनियम में धारा 288ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 288ख के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

''288ख. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन संदेय कोई रकम और शोध्य प्रतिदाय की रकम दस रुपए के निकटतम गुणज तक पूर्णांकित की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए रुपए के ऐसे भाग को जो पैसों में है, अनदेखा किया जाएगा और उसके पश्चात् यदि ऐसी रकम दस का गुणज नहीं है तब, यदि उस रकम में अंतिम अंक पांच या उससे अधिक है तो रकम अगली उच्चतर रकम तक बढ़ा दी जाएगी जो दस का गुणज है और यदि अंतिम अंक पांच से कम है तो रकम अगली निम्नतर रकम तक घटा दी जाएगी जो दस का गुणज है।''। संदेय रकम और शोध्य प्रतिदाय को पूर्णांकित किया जाना।

अध्याय 3

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

1962 का 52 **20.** सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) धारा 17 की उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :— धारा 17 का संशोधन।

''(5) जहां उपधारा (2) के अधीन किया गया निर्धारण इस अधिनियम के अधीन

उसके लिए किसी अधिसूचना के परिणामस्वरूप प्राप्त माल के मूल्यांकन, वर्गीकरण, शुल्क से छूट या रियायत के बारे में आयातकर्ता या निर्यातकर्ता के दावे के प्रतिकूल है और उन मामलों से भिन्न मामलों में, जहां, यथास्थिति, आयातकर्ता या निर्यातकर्ता उक्त निर्धारण की अपनी स्वीकृति की लिखित रूप में पुष्टि करता है, वहां उचित अधिकारी, यथास्थिति, प्रवेश पत्र या पोत परिवहन पत्र के निर्धारण की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर स्पष्ट आदेश पारित करेगा।''।

धारा 18 का संशोधन।

21. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 18 में उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

''(3) आयातकर्ता या निर्यातकर्ता उपधारा (2) के अधीन अंतिम निर्धारण आदेश के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार को संदेय किसी रकम पर धारा 28कख के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत दर पर उस मास के पहले दिन से जिसमें शुल्क का अनंतिम रूप से निर्धारण किया जाता है, उसके संदाय की तारीख तक ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

(4) उपधारा (5) के अधीन रहते हुए, यदि उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी प्रतिदेय रकम का उस उपधारा के अधीन शुल्क के अंतिम रूप से निर्धारण की तारीख से तीन मास के भीतर प्रतिदाय नहीं किया जाता है, तो ऐसी अप्रतिदत्त रकम पर केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 27क के अधीन नियत दर पर ऐसी रकम के प्रतिदाय की तारीख तक ब्याज का संदाय किया जाएगा।

(5) उपधारा (2) के अधीन प्रतिदेय शुल्क की रकम और उपधारा (4) के अधीन ब्याज, यदि कोई हो, निधि में जमा किए जाने की बजाय, यथास्थिति, आयातकर्ता या निर्यातकर्ता को संदत्त की जाएगी यदि ऐसी रकम निम्नलिखित से संबंधित है—

(क) शुल्क और, यथास्थिति, आयातकर्ता या निर्यातकर्ता द्वारा संदत्त ऐसे शुल्क पर संदत्त ब्याज, यदि कोई हो, यदि उसने ऐसे शुल्क और ऐसे शुल्क पर संदत्त ब्याज का भार, यदि कोई हो, किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित न कर दिया हो;

(ख) किसी व्यष्टि द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए किए गए आयातों पर शुल्क और ऐसे शुल्क पर संदत्त ब्याज, यदि कोई हो;

(ग) शुल्क और क्रेता द्वारा वहन किए गए ऐसे शुल्क पर संदत्त ब्याज, यदि कोई हो, यदि उसने शुल्क और ऐसे शुल्क पर संदत्त ब्याज का भार, यदि कोई हो, किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित न कर दिया हो;

(घ) धारा 26 में यथाविनिर्दिष्ट निर्यात शुल्क;

(ङ) धारा 74 और धारा 75 के अधीन संदेय शुल्क की वापसी।''।

धारा 28 का संशोधन।

22. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28 में,—

(क) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(1क) जब किसी शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया गया है या कम उद्ग्रहण किया गया है या ब्याज प्रभारित नहीं किया गया है या उसका भागत: संदाय किया गया है या आयातकर्ता या निर्यातकर्ता अथवा आयातकर्ता या निर्यातकर्ता के अभिकर्ता या कर्मचारी द्वारा जिसे उचित अधिकारी द्वारा उपधारा (1) के परंतुक के अधीन सूचना की तामील की जाती है, दुरभिसंधि या तथ्यों के जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारण शुल्क या ब्याज का भूल से प्रतिदाय किया गया है तो वह पूरे शुल्क या उसके द्वारा स्वीकार किए गए भाग और धारा 28कख

के अधीन उस पर संदेय ब्याज का और सूचना में विनिर्दिष्ट शुल्क के पच्चीस प्रतिशत के बराबर शास्ति का या ऐसे व्यक्ति द्वारा इस प्रकार स्वीकार किए गए शुल्क का, सूचना की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर संदाय कर सकेगा।'';

(ख) उपधारा (2) में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु यदि ऐसे व्यक्ति ने पूरे शुल्क का उपधारा (1क) के अधीन ब्याज और शास्ति सहित संदाय कर दिया है तो ऐसे व्यक्ति और ऐसे अन्य व्यक्तियों की बाबत, जिन्हें उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील की जाती है, कार्यवाहियां धारा 135, धारा 135क और धारा 140 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसमें कथित विषयों के संबंध में निर्णायक समझी जाएगी:

परंतु यह और कि यदि ऐसे व्यक्ति ने भागत: शुल्क, ब्याज और उपधारा (1क) के अधीन शास्ति का संदाय कर दिया है तो उचित अधिकारी शुल्क की रकम या ब्याज का, जो ऐसे व्यक्ति से भागत: शोध्य रकम से अधिक नहीं होगी, अवधारण करेगा।''।

नई धारा 28खक का अंत:स्थापन।

23. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

कतिपय मामलों में राजस्व की संरक्षण के लिए अनंतिम कुर्की।

''28खक. (1) जहां धारा 28 या धारा 28ख के अधीन किसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान उचित अधिकारी की यह राय है कि राजस्व के हितों का संरक्षण करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो वह सीमाशुल्क आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से, लिखित आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्ति की, जिस पर, यथास्थिति, धारा 28 की उपधारा (1) या धारा 28ख की उपधारा (2) के अधीन सूचना की तामील की जाती है, धारा 142 के अधीन इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार किसी संपत्ति की अनंतिम रूप से कुर्की कर सकेगा।

(2) प्रत्येक ऐसी अनंतिम कुर्की उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभाव में नहीं रहेगी:

परंतु मुख्य सीमाशुल्क आयुक्त लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से पूर्वोक्त अवधि को ऐसी और अवधि या अवधियों तक बढ़ा सकेगा जिन्हें वह ठीक समझे तथापि विस्तार की कुल अवधि किसी भी दशा में दो वर्ष से अधिक की नहीं होगी:

परंतु यह और कि जहां धारा 127ख के अधीन मामले के निपटान के लिए कोई आवेदन समझौता आयोग को किया जाता है, वहां ऐसी तारीख से जिसको आवेदन किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को समाप्त होने वाली अवधि जिसको धारा 127ग की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश किया जाता है, पूर्ववर्ती परंतुक में विनिर्दिष्ट अवधि से अपवर्जित की जाएगी।''।

धारा 104 का संशोधन।

24. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 104 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(1) यदि सीमाशुल्क आयुक्त के साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त सशक्त सीमाशुल्क अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि भारत में या भारतीय सीमाशुल्क सागर खंड के भीतर किसी व्यक्ति ने धारा 132 या धारा 133 या धारा 135 या धारा 135क या धारा 136 के अधीन दंडनीय अपराध किया है तो वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा और वह, यथाशीघ्र, उसे ऐसी गिरफ्तारी के आधारों की सूचना देगा।''।

धारा 108 का संशोधन।

25. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 108 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से सशक्त किए गए किसी राजपत्रित सीमाशुल्क अधिकारी को किसी ऐसे व्यक्ति को समन करने की शक्ति होगी जिसकी उपस्थिति वह ऐसी किसी जांच में जिसे ऐसा अधिकारी इस अधिनियम के अधीन कर रहा है, साक्ष्य देने या दस्तावेज या कोई अन्य वस्तु प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक समझता है।''।

नई धारा 110क का अंत:स्थापन।

26. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 110 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

न्यायनिर्णयन के लंबित रहने के दौरान अभिगृहीत माल, दस्तावेजों और वस्तुओं की अनंतिम निर्मुक्ति।

''110क. न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश के लंबित रहने के दौरान धारा 110 के अधीन अभिगृहीत किसी माल, दस्तावेजों या वस्तुओं को स्वामी को, उससे उचित प्ररूप में ऐसी प्रतिभूति और ऐसी शर्तों के साथ जिनकी सीमाशुल्क आयुक्त अपेक्षा करे, बंधपत्र लेकर निर्मुक्त किया जा सकेगा।''।

नई धारा 114कक का अंत:स्थापन।

27. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 114क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

मिथ्या और गलत सामग्री के उपयोग के लिए शास्ति।

''114कक. यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी कारबार के संव्यवहार में जानते हुए या आशय से किसी ऐसी घोषणा, कथन या दस्तावेज पर, जो मिथ्या है या किसी विशिष्ट सामग्री के संबंध में त्रुटिपूर्ण है, हस्ताक्षर करता है या उनका उपयोग करता है अथवा उन पर हस्ताक्षर कराता है या उनका उपयोग कराता है तो ऐसा व्यक्ति ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो माल के मूल्य के पांच गुना से अनधिक होगी।''।

धारा 124 का संशोधन।

28. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 124 के खंड (क) में, ''आधारों की लिखित जानकारी देते हुए'' शब्दों के स्थान पर, ''किसी सीमाशुल्क उपायुक्त के, जो सीमाशुल्क अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, पूर्वानुमोदन से आधारों की लिखित जानकारी देते हुए'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 129घ का संशोधन।

29. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129घ की उपधारा (2) में, ''आदेश द्वारा ऐसे प्राधिकारी को'' शब्दों के स्थान पर, ''आदेश द्वारा ऐसे प्राधिकारी या उसके अधीनस्थ किसी सीमाशुल्क अधिकारी को'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 132 का संशोधन।

30. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 132 में, ''छह मास'' शब्दों के स्थान पर ''दो वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 133 का संशोधन।

31. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 133 में, ''छह मास'' शब्दों के स्थान पर ''दो वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 137 का संशोधन।

32. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 137 की उपधारा (1) में, ''धारा 135'' शब्द और अंकों के स्थान पर, ''धारा 135 या धारा 135क'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

नई धारा 154ख का अंत:स्थापन।

33. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 154क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

कतिपय मामलों में व्यक्तियों से संबंधित सूचना का प्रकाशन।

''154ख. (1) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि किसी व्यक्ति का नाम और ऐसे व्यक्ति के संबंध में इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही या अभियोजन से संबंधित किन्हीं अन्य विशिष्टियों को प्रकाशित करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है तो वह ऐसे नामों और विशिष्टियों को ऐसी रीति में जिसे वह ठीक समझे प्रकाशित कराएगी ।

(2) इस धारा के अधीन, इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति के संबंध में तब तक कोई प्रकाशन नहीं किया जाएगा जब तक कि, यथास्थिति, धारा 128 के अधीन आयुक्त (अपील) को या धारा 129क के अधीन अपील अधिकरण को अपील

प्रस्तुत करने का समय, अपील किए बिना समाप्त हो गया है या यदि अपील की गई थी तो उसका निपटान कर दिया गया है।

स्पष्टीकरण—किसी फर्म, कंपनी या व्यक्तियों के अन्य संगम की दशा में, यदि केन्द्रीय सरकार की राय में मामले की परिस्थितियां इसे न्यायोचित ठहराती हैं तो, यथास्थिति, फर्म के भागीदारों के नामों, कंपनी के निदेशकों, प्रबंध अभिकर्ताओं, सचिवों और कोषाध्यक्षों या प्रबंधकों के नामों या संगम के सदस्यों के नामों को भी प्रकाशित किया जा सकेगा।''।

सीमाशुल्क टैरिफ

34. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ख की उपधारा (1) के पहले परंतुक में, ''ऐसे सभी देशों'' शब्दों के स्थान पर ''ऐसे विकासशील देशों जिनमें, प्रत्येक का आयात अंश तीन प्रतिशत से कम है'' शब्द रखे जाएंगे। 1975 के अधिनियम 51 की धारा 8ख का संशोधन।

उत्पाद-शुल्क

1944 का 1 **35.** केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) धारा 11क में,— धारा 11क का संशोधन।

(क) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(1क) जब किसी ऐसे व्यक्ति या उसके अभिकर्ता, जिसको केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा उपधारा (1) के परंतुक के अधीन सूचना की तामील की गई है, द्वारा कपट, दुरभिसंधि या किसी जानबूझकर किए गए किसी मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारण या इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या तद्धीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में, किसी उत्पाद-शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया गया है या संदत्त नहीं किया गया है या कम उद्गृहीत किया गया है या कम संदत्त किया गया है या शुल्क के संदाय के अपवंचन के आशय से प्रतिदाय किया गया है तब वह शुल्क का पूर्णत: या भागत: संदाय कर सकेगा, जो उसके द्वारा स्वीकार किया जाए और धारा 11कख के अधीन उस पर संदेय ब्याज और सूचना में विनिर्दिष्ट शुल्क या ऐसे व्यक्ति द्वारा इस प्रकार स्वीकार किए गए शुल्क के पच्चीस प्रतिशत के बराबर शास्ति का संदाय, सूचना की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर कर सकेगा।'';

(ख) उपधारा (2) में निम्नलिखित परंतुक जोड़े जाएंगे, अर्थात्:—

''परंतु यदि ऐसे व्यक्ति ने संपूर्ण शुल्क का, उपधारा (1क) के अधीन ब्याज और शास्ति सहित संदाय कर दिया है तो, ऐसे व्यक्ति और ऐसे अन्य व्यक्तियों की बाबत जिन्हें, उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील की गई है, धारा 9, धारा 9क और धारा 9कक के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसमें कथित विषय के संबंध में कार्यवाहियां निश्चायक समझी जाएंगी:

परंतु यह और कि यदि ऐसे व्यक्ति ने उपधारा (1क) के अधीन शुल्क, भागत: ब्याज और शास्ति का संदाय कर दिया है तो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी शुल्क या ब्याज की रकम का, जो ऐसे व्यक्ति से भागत: देय रकम से अधिक नहीं होगी, अवधारण करेगा।''।

36. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11घघ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 11घघक का अंत:स्थापन।

''11घघक. (1) जहां धारा 11क या धारा 11घ के अधीन किसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी की यह राय है कि राजस्व के हितों कतिपय मामलों में राजस्व के संरक्षण के लिए अनंतिम कुर्की।

का संरक्षण करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त के लिखित आदेश द्वारा पूर्वानुमोदन से उस व्यक्ति की किसी संपत्ति की, जिस पर, यथास्थिति, धारा 11क की उपधारा (1) या धारा 11घ की उपधारा (2) के अधीन सूचना की तामील की गई है, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 के अधीन इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार अनंतिम रूप से, कुर्की कर सकेगा। 1962 का 52

(2) प्रत्येक ऐसी अनंतिम कुर्की उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभाव में नहीं रहेगी:

परंतु केन्द्रीय मुख्य उत्पाद-शुल्क आयुक्त लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से पूर्वोक्त अवधि को, ऐसी और अवधि या अवधियों के लिए, जिन्हें वह ठीक समझे, विस्तारित कर सकेगा, तथापि विस्तार की कुल अवधि किसी भी दशा में दो वर्ष से अधिक नहीं होगी:

परंतु यह और कि जहां धारा 32ङ के अधीन मामले के समझौते के लिए कोई आवेदन समझौता आयोग को किया जाता है वहां ऐसी तारीख से जिसको आवेदन किया जाता है प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को समाप्त होने वाली अवधि जिसको धारा 32च की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश किया जाता है, पूर्ववर्ती परंतुक में विनिर्दिष्ट अवधि में से अपवर्जित की जाएगी।''।

धारा 35ङ का संशोधन।

37. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ङ की उपधारा (2) में ''ऐसे प्राधिकारी'' शब्दों के स्थान पर ''ऐसे प्राधिकारी या उसके अधीनस्थ किसी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी'' शब्द रखे जाएंगे।

नई धारा 37ङ का अंत:स्थापन।

38. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37घ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

कतिपय मामलों में व्यक्तियों के संबंध में जानकारी का प्रकाशन।

''37ङ. (1) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि किसी व्यक्ति का नाम और ऐसे व्यक्ति के संबंध में इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों या अभियोजनों के संबंध में अन्य विशिष्टियों को प्रकाशित करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है तो वह ऐसे नामों और विशिष्टियों को ऐसी रीति में जिसे वह ठीक समझे, प्रकाशित कराएगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति के संबंध में इस धारा के अधीन कोई प्रकाशन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि, यथास्थिति, आयुक्त (अपील) को धारा 35 के अधीन या अपील अधिकरण को धारा 35ख के अधीन अपील प्रस्तुत करने का समय कोई अपील प्रस्तुत किए बिना समाप्त न हो गया हो या यदि अपील की गई है तो उसका निपटारा न कर दिया गया हो।

स्पष्टीकरण—किसी फर्म, कंपनी या अन्य व्यक्तियों के संगम की दशा में, यदि केन्द्रीय सरकार की राय में मामले की परिस्थितियां इसे न्यायोचित ठहराती हैं, यथास्थिति, फर्म के भागीदारों, कंपनी के निदेशकों, प्रबंध अभिकर्ताओं, सचिवों और कोषाध्यक्षों या प्रबंधकों या संगम के सदस्यों के नाम को भी प्रकाशित किया जा सकेगा।''।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 16 का संशोधन।

39. (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 में, उसका नियम 16, जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 143(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, संशोधित हो जाएगा और अनुसूची के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट रीति में उस अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट नियम के सामने उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए भूतलक्षी रूप से संशोधित हुआ माना जाएगा।

(2) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी 29 मई, 2003 से प्रारंभ होने वाली और 8 जुलाई, 2004 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय उपधारा (1) द्वारा यथासंशोधित नियम के अधीन की गई या की गई तात्पर्यित कोई कार्रवाई या बात सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से की गई सदैव समझी जाएगी मानो उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में रहा था।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के बारे में यह समझा जाएगा कि उसके पास भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति होगी और रही होगी मानो केन्द्रीय सरकार के पास केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 के अधीन भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति सभी तात्विक समयों पर थी।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से कोई कार्य या लोप अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा जो, यदि यह धारा प्रवर्तन में नहीं रही होती तो इस प्रकार दंडनीय नहीं होता।

अनुसूची

(धारा 39 देखिए)

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के वे उपबंध जिनका संशोधन किया जाना है।	संशोधन	संशोधन के प्रभाव की अवधि
(1)	(2)	(3)
अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 143 (अ) तारीख 1मार्च, 2002 द्वारा यथाप्रकाशित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 का नियम 16	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 16 के उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— 'परंतु इस नियम के प्रयोजनों के लिए, ''निर्धारिती'' के अंतर्गत तार खींचे वाली ऐसी यूनिट भी होगी जिसने माल हटाए जाने की तारीख को खींचे गए तारों को लागू दर पर और अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के सुसंगत उपबंधों के अधीन अवधारित मूल्य पर शुल्क के बराबर रकम के संदाय पर माल की निकासी की गई है: परंतु यह और कि पहले परंतुक के अधीन संदत्त रकम केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय के रूप में ऐसे अनुज्ञात की जाएगी मानो वह उस निर्धारिती द्वारा संदत्त शुल्क था जिसने माल हटाया था।	29 मई, 2003 से 8 जुलाई, 2004 तक (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं)।